न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 6/2017

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

.... प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. जिला वन अधिकारी बारां
2. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत उदपुरिया तह0 मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री हिम्मता राम मेहरा (आरएएस)
वकील प्रार्थी : स्वयं वादी
दायरा दिनांकः 03.06.2017 निर्णय दिनांक : 16.08.2017

तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भटेडी में सेटलमेंट जमाबंदी 2044–63 के खाता संख्या 48 सिवायचक ना0काबिल काश्त में खसरा नं0 68 रकबा 12.27 है0 किस्म गै0 मु0 बेहड दर्ज है। जिसके पुराने खसरा नं0 45/17.15, 48/1.00, 50/22.00, 56/47.15 बीघा भूमि किस्म बंजड दर्ज है जो जमाबंदी सं0 2035–38 के खाता संख्या 1 राजकीय भूमि 1 काबिल काश्त भूमि दर्ज थी। जिसे श्रीमदभागवत गौशाला समिति भटेडी हेतु भूमि आवंटन करने हेतु प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 के तहत दर्ज कर श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण के संबंध में तहसीलदार मांगरोल से जॉच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्रांकः भू.अ. /2017/1850 दिनांक 15.05.2017 के द्वारा अंकन किया कि ग्राम भटेडी में स्थित खसरा नं0 68 रकबा 12.27 है0 भूमि मुताबिक राजस्व रेकार्ड के सिवायचक खाते में दर्ज है, जिसकी किस्म गै0 मु0 बेहड दर्ज है उक्त भूमि राजस्व विभाग की है मुताबिक जमाबंदी सेटलमेंट 2044–63 में खाता संख्या 48 खसरा नं0 68 रकबा 12.27 है0 किस्म गै0 मु0 बेहड सिवायचक नाकाबिल काश्त खाते में दर्ज है मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नं0 68 रकबा 12.27 है0 के साबिक खसरा नं0 49 मि0 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 56 मि0 रकबा 47 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 45 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं0 48 रकबा 1 बीघा, खसरा नं0 50 रकबा 22 बीघा से बने है। श्रीमद भागवत गौशाला समिति बालाजी धाम भटेडी को गौशाला हेतु ग्राम भटेडी की आराजी खसरा नं0 68 रकबा 12.27 है0 में से 6.27 है0 किस्म गै0 मु0 बेहड भूमि आवंटन के प्रस्ताव पूर्व में ही भिजवाये जा चुके है वर्तमान में उक्त गौशाला संचालित है जिसमें छोटे बडे लगभग

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

215 पशु संख्या है। मौके पर गायो के रहने हेतु आवास, भूसाघर, पानी की खैल इत्यादि बनी हुई है। उक्त प्रकरण में प्रस्तावित की गई भूमि में माननीय शासन सचिव उपनिवेशन विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प 19(2) उप 115 दिनांक 21.07.2015 में उक्त आराजी वन विभाग की मानकर उक्त भूमि गौशाला हेतु आवंटन नही की गई है परन्तु मुताबिक राजस्व रेकार्ड के उक्त भूमि वन विभाग की न होकर राजस्व विभाग की है जिसको गौशाला हेतु आवंटन करने कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। तथा प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में राजस्व रेकार्ड का परिक्षण किया। सम्पूर्ण विवेचनोपरान्त में इस निष्कर्ष पर पहुचां हू कि तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है। वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 1 में दर्ज खसरा नं0 68 रकबा 12.27 है0 किस्म गै0 मु0 बेहड जो गत बन्दोबस्त में सम्वत 2044–2063 में खाता संख्या 48 में सिवायचक ना काबिलकाश्त गै0 मु0 बंजड एवं जमाबंदी सम्वत 2035 से 2038 के खाता संख्या 1 में दर्ज उक्त खसरा नम्बर 68 रकबा 12.27 है0 खसरा नं0 56 मि0 45, 48 व 50 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत 2044–2063 ग्राम भटेडी दर्ज रेकार्ड थी। प्रकरण में सचिव ग्राम पंचायत एवं वन विभाग को दुरूस्ती में किसी प्रकरण की कोई आपत्ति नही होना दौराने सुनवाई प्रकट किया है। अतः भूमिधारी तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम भटेडी की चालू जमाबंदी के खाता संख्या 1 में दर्ज प्रविष्टि कॉलम संख्या 4 में झाड झंखाड वाले वन (चारागाह हेतु) के स्थान पर जमाबंदी सम्वत 2035 से 2038 में अंकित अनुसार राजकीय भूमि / 1 काबिल काश्त भूमि एवं कॉलमसंख्या 7 में दर्ज गै0 मु0 बेहड के स्थान पर बंजड दर्ज किये जाने के आदेश पूर्व जमाबंदी के अनुसार दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2017 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

(हिम्मता राम मेहरा)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल